मजदूर संघों की संख्या

*516. **श्री दत्तोपंत ठेंगडी :**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने मजदूर संघ कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उक्त मजदूर संघों के सदस्यों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संघों तथा उन संघों की संख्या क्या है जिन्होंने मान्यता के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं ; और

(घ) क्या सरकार मजदूर संघों को मान्यता देने से संबंधित नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ?

Number of Trade Unions

•516. SHRl D. 1HENGARI:

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number ot trade unions working in the country at present;

(b) the total membership of these trade unions;

(c) the number of trade unions recognised at the all India level and the number of trade unions which have applied for recognition; and

(d) whether Government propose to amend the rules pertaining to the gram of recognition to the trade unions?]

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) ट्रेड यूनियनों के लिए अपने आप को ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवाना कानूनन अनिवार्य नहीं है। इसलिये यह सूचना कि देश में कितनी ट्रेड यूनियनें हैं और उनकी सदस्य-संख्या क्या है, इसके संबंध में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। 1968 में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या 16,716 थी, जिनमें से केवल 8,851 ने विवरणियां भेजी, जो कुल 5,121,000 की सदस्यता दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों को अखिल भारत स्तर पर मान्यता देने का कोई वैधानिक उपबन्ध नहीं है।

नियोजकों द्वारा श्रमिक संघों की मान्यता अधिकांशतः अनुशासन संहिता द्वारा प्रशासित होती है।

THE MINISTER OF LABOUR AM) REHABILITATION (SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY): (a) and (b) It is not legally obligatory for trade unions to register themselves with the Registrar of rrade Unions. Information on the number of trade unions in the country and figures of their membership is thus not available with the Government. The number of registered unions in l'Jiin was 16,716, of which onlj s.851 furnished returns LO show a total membership of 5,121,000.

(c) and (d) There is no legal provision tor recognition of trade unions at the all-India level by the Government of India. Recognition of Trade Unions by employers is in and large governed by the Code of Discipline.]

जैसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा मालडिब्बों का निर्माण

*517. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, के साथ पोलैण्ड को रेल के मालडिब्बों

|[J English translation.